पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 150/2020

1. दिनेश कुमार पुत्र कुम्भाराम जाति जाट निवासी डूँगरसिंहपुरा त0 भादरा।

:— वादी

ब ना म

1 कुम्भाराम पुत्र जालुराम जाति जाट निवासी डूँगरसिंहपुरा त0 भादरा।
2 शिव कुमार पुत्र कुम्भाराम जाति जाट निवासी डूँगरसिंहपुरा त0 भादरा।
3 कमला पुत्री कुम्भाराम जाति जाट निवासी डूँगरसिंहपुरा त0 भादरा।
4 मन्जु पुत्री कुम्भाराम जाति जाट निवासी डूँगरसिंहपुरा त0 भादरा।
5 बालादेवी पुत्री कुम्भाराम जाति जाट निवासी डूँगरसिंहपुरा त0 भादरा।
6 नानकोरी पुत्री कुम्भाराम जाति जाट निवासी डूँगरसिंहपुरा त0 भादरा।
7 मोनिका पुत्री स्व0 शान्ति पुत्री कुम्भाराम आयु 12 वर्ष नाबालिग जरिये कुदरती वती पिता चेतराम पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी गाजवास गढाना त0 तारानगर जिला चुरू।
8 बैंक ऑफ बडौदा शाखा तारानगर जरिये शाखा प्रबंधक तारानगर जिला चुरू।

:— प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट—ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुंशीराम गोस्वामी एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सरजीत बिजारणियां की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा डूँगरसिंहपुरा के खाता सं0 7/4 के खसरा सं0 202/1 की कुल 13.279है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं 1 कुम्भाराम के नाम खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि में वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 संयुक्त रूप 7/8 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 7 मोनिका नाबालिगान जरिये कुदरती पिता चेतराम पुत्र ओमप्रकाश 1/8 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जावें। चुंकि प्रतिवादी स0 3 ता 6 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी दिनेश कुमार व प्रतिवादी सं0 1 कुम्भाराम, प्रतिवादी सं0 2 शिव कुमार को संयुक्त रूप से 7/8 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 7 मोनिका नाबालिगान जरिये कुदरती पिता चेतराम पुत्र ओमप्रकाश 1/8 हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। [illegible] उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक [illegible] को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:46:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 150/2020

अनवान :

1. दिनेश कुमार पुत्र कुम्भाराम जाति जाट निवासी डूँगरसिंहपुरा त0 भादरा।

:— **वादी**

ब ना म

1 कुम्भाराम पुत्र जालुराम जाति जाट निवासी डूँगरसिंहपुरा त0 भादरा।
2 शिव कुमार पुत्र कुम्भाराम जाति जाट निवासी डूँगरसिंहपुरा त0 भादरा।
3 कमला पुत्री कुम्भाराम जाति जाट निवासी डूँगरसिंहपुरा त0 भादरा।
4 मन्जु पुत्री कुम्भाराम जाति जाट निवासी डूँगरसिंहपुरा त0 भादरा।
5 बालादेवी पुत्री कुम्भाराम जाति जाट निवासी डूँगरसिंहपुरा त0 भादरा।
6 नानकोरी पुत्री कुम्भाराम जाति जाट निवासी डूँगरसिंहपुरा त0 भादरा।
7 मोनिका पुत्री स्व0 शान्ति पुत्री कुम्भाराम आयु 12 वर्ष नाबालिग जरिये कुदरती वली पिता चेतराम पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी गाजवास गढाना त0 तारानगर जिला चुरू।
8 बैंक ऑफ बडौदा शाखा तारानगर जरिये शाखा प्रबंधक तारानगर जिला चुरू।

:— **प्रतिवादीगण**

(मोहर: सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट भादरा (हनुमानगढ़))

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री मुंशीराम गोस्वामी : **वादी**
वकील श्री सरजीत बिजारणिया : **प्रतिवादीगण**

दिनांक : 16.12.2020

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा डूँगरसिंहपुरा के खाता सं0 7/4 के खसरा सं0 202/1 की कुल 13.279है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं 1 कुम्भाराम के नाम खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले प्रतिवादी सं 1 के पिता जालूराम की खातेदारी हुआ करती थी। जालूराम से विरासतन उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 कुम्भाराम ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दु है तथा हिन्दु विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, [illegible] बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की [illegible] पडती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखासमत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:16:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

Scanned with CamScanner

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 7 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 8 को वकील वादी ने तर्क अंकित किया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु दिनेश पुत्र कुम्भाराम के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम डूँगरसिंहपुरा के खाता सं0 7/4 संवत 2070–72 प्रदर्श 1 जमाबंदी रोही डूँगरसिंहपुरा खसरा सं0 20 संवत 2029–38 प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत मुंदडिया बडा प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने ग्राम डूँगरसिंहपुरा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 3 में वारिसप्रमाण पत्र में 2 पुत्र दिनेश कुमार, शिव कुमार व पांच पुत्री कमला, मंजू, बालादेवी, नानकोरी व स्व0 शांति के अलावा अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। **जिसमें शांति की मृत्यू होने पर शांति के वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर एक पुत्री मोनिका प्रतिवादी सं0 7 जो नाबालिग है** रोही मौजा डूँगरसिंहपुरा के खाता सं0 7/4 के खसरा सं0 202/1 की कुल 13.279है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं 1 कुम्भाराम के नाम खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है इस प्रकार वाद भूमि में वादी तथा प्रतिवादी सं 1 ता 7 का बहिस्सा बराबर है। चुंकि प्रतिवादीया सं0 3 ता 6 ने अपना हक हिस्सा वादी तथा प्रतिवादी सं 1 व 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वादभूमि में वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 संयुक्त रूप 7/8 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 7 मोनिका नाबालिगान जरिये कुदरती पिता चेतराम पुत्र ओमप्रकाश 1/8 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जावें। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

<u>कियात्मक आदेश</u>

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा डूँगरसिंहपुरा के खाता सं0 7/4 के खसरा सं0 202/1 की कुल 13.279है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं 1 कुम्भाराम के नाम खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि में [illegible] प्रतिवादी सं0 1 व 2 संयुक्त रूप 7/8 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 7 मोनिका नाबालि[illegible] जरिये कुदरती पिता चेतराम पुत्र ओमप्रकाश 1/8 हिस्सा के खातेदार काश्तकार [illegible] जावें। चुंकि प्रतिवादी स0 3 ता 6 ने अपना हक हिस्सा वादी [illegible] प्रतिवादी सं0 1 [illegible] के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि [illegible] के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी दिनेश कुमार व प्रतिवादी सं0 1 कुम्भाराम, प्रतिवादी सं0 2 शिव कुमार को संयुक्त रूप से 7/8 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 7 मोनिका

सहायक [illegible] (फास्ट ट्रैक)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:46:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

नाबालिगान जरिये कुदरती पिता चेतराम पुत्र ओमप्रकाश 1/8 हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलेक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्य पालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:46:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner